

| विभाग का नाम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|----|--|----|--|------|--|
| क्रम सं० | | संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 अप्रैल, 2021 को शेष आरटीआई आवेदनों की संख्या (1) | 1321 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या (2) | 1125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | आवेदनों की कुल संख्या (1 + 2) | 2446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्य लोक प्राधिकारियों को स्थानांतरित आवेदनों की संख्या | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | निस्तारित आरटीआई आवेदनों की कुल संख्या | 756 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | मामले जिनमें आवेदक को सूचना प्रदान की गयी | 756 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | मामले जहाँ सूचना के लिए आवेदनों को अस्वीकृत किया गया | NIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 31 मार्च, 2022 को शेष आरटीआई आवेदनों की संख्या [3-(4+5)] | 1672 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | प्राप्त अपीलों की कुल संख्या | 262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | निस्तारित अपीलों की कुल संख्या | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | मामले जहाँ सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रशासन के सम्बन्ध में किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई | NIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | संग्रहित शुल्क (आवेदन) (रुपए) | 5578 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | संग्रहित अतिरिक्त प्रभार (रुपए) | 26244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | संग्रहित अर्धदण्ड (रुपए) | NIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | संग्रहित कुल राशि (शुल्क+अति० प्रभार+अर्धदण्ड) (रुपए) | 31822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | नियुक्त राज्य सहायक सूचना अधिकारियों की संख्या (ए) | NIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | नियुक्त राज्य सूचना अधिकारियों की संख्या (बी) | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | नियुक्त प्रधान अपीलीय अधिकारियों की संख्या (सी) | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | कुल (ए+बी+सी) | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | किस प्रावधान के अन्तर्गत आरटीआई आवेदन निरस्त किया गया | <table border="1"> <tr> <td rowspan="14">सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की संज्ञा धाराएं</td> <td rowspan="14">धारा 8(1)</td> <td>क</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ख</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ग</td> <td></td> </tr> <tr> <td>घ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ङ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>च</td> <td></td> </tr> <tr> <td>छ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ज</td> <td></td> </tr> <tr> <td>झ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>अन्य</td> <td></td> </tr> </table> | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की संज्ञा धाराएं | धारा 8(1) | क | | ख | | ग | | घ | | ङ | | च | | छ | | ज | | झ | | 9 | | 11 | | 24 | | अन्य | |
| सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की संज्ञा धाराएं | धारा 8(1) | क | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ख | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ग | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | घ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ङ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | च | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | छ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ज | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | झ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | अन्य | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

नोट- लोक प्राधिकारी/ विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ सभी प्रशासनिक इकाईयों/कार्यालयों का सम्बन्धित विवरण भेजा जाये। प्रशासनिक इकाईयों/कार्यालयों द्वारा सीधे आयोग को विवरण न भेजा जाये।

2/9/22

62-9-22